कार्यालय कलेक्टर (भू—अभिलेख शाखा) धमतरी //आदेश//

क्रमांक 🔰 🖊 वाचक / कलेक्टर (भू—अभिलेख) / 2015

धमतरी दिनांक ²³/11/2015 रा.प्र.क्र. ७३ अ/3 वर्ष 2015–16

छ0ग0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तहसील नगरी स्थित वन ग्राम आमामुड़ा प.ह.नं.32 .डुबान/विरान होने के कारण वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, अतः उक्त वन ग्राम को, एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

> क्लेक्टर, जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 💆 वाचक / कलेक्टर (भू—अभिलेख) / 2015

धमतरी दिनांक29/11/2015

प्रतिलिपी:--

- 1. सचिव, छ०ग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल धमतरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 4. उपनिदेशक उदन्ती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद को सूचनार्थ एवं अग्रेषित।
- 5. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी / नगरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 6. कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग रूद्री को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 7. तहसीलदार, धमतरी / नगरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमतरी / नगरी को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 9. अधीक्षक, भू-अभिलेख को सूचनार्थ एवं परिपालनार्थ अग्रेषित।
- 10 .जिला जनसंपर्क अधिकारी धमतरी की ओर दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर, जिला धमतरी